

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा:-

(i) पृथम पत्र— सामान्य अध्ययन— इस पत्र में सामान्य ज्ञान (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।

(ii) द्वितीय पत्र—विधि— इस पत्र में भारतीय दण्ड सहिता, 1860, भारतीय साक्ष अधिनियम, 1872, दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 एवं भारतीय राजिधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न समिलित होंगे।

(2) मुख्य परीक्षा— मुख्य परीक्षा में निम्नांकित पत्र होंगे—

क्र.सं.	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	पृथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	हिन्दी भाषा	100
3.	तृतीय पत्र	अंग्रेजी भाषा	100
4.	चतुर्थ पत्र	भारतीय दण्ड सहिता, 1860	150
5.	पंचम पत्र	भारतीय साक्ष अधिनियम, 1872	150
6.	षष्ठम पत्र	दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973	150
7.	सप्तम पत्र	अन्य विधि	150

मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घण्टे की होगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा—

(i) पृथम पत्र— सामान्य अध्ययन— इस पत्र में सामान्य ज्ञान (समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित), सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज व्यवस्था तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकते हैं।

(ii) द्वितीय पत्र— हिन्दी भाषा— इस पत्र का स्तर वही होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चीथे दर्ग से लगातार हिन्दी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हिन्दी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल हिन्दी में अपने भावों को रूपांतर एवं शुद्ध—शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिन्दी की सहज बोध शक्ति की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक में नहीं जोड़े जायेंगे।

(iii) तृतीय पत्र—अंग्रेजी भाषा— इस परीक्षा में उम्मीदवारों के सरल अंग्रेजी में अपने भावों को रूपांतर एवं शुद्ध—शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी के सहज बोध शक्ति की जाँच की जायेगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। इस पत्र के प्राप्तांक में नहीं जोड़े जायेंगे।

(iv) चतुर्थ पत्र— भारतीय दण्ड सहिता, 1860

(v) पंचम पत्र— भारतीय साक्ष अधिनियम, 1872,

(vi) षष्ठम पत्र— दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973,

(vii) सप्तम पत्र— अन्य विधि— इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे—

(क) शरत्र अधिनियम, 1959,

(ख) विल्कोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

(ङ) अनुसूचित जाति और अनुशूचित जनजाति (अत्याधार निवारण) अधिनियम, 1989

(च) पौरको अधिनियम, 2012